निगरानी 2461-I-15

समक्ष माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर ~~बेंच सागर~~

1. राकेश कुमार तनय रामसेवक गुप्ता
निवासी खजुराहो तह. राजनगर जि. छतरपुर (म०प्र०)
2. ओमप्रकाश तनय शंकरलाल गुप्ता नि. राजनगर
3. रामनारायण तनय रामसेवक गुप्ता नि. राजनगर
4. ओमकार अग्निहोत्री पुत्र दरवारीलाल नि. राजनगर
4. श्रीमती नीलू अग्रवाल पत्नि सतीश अग्रवाल नि. राजनगर ....आवेदकगण

//विरूद्ध//

मध्यप्रदेश शासन ....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत् धारा–50 म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त आवेदकगण न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर जिला छतरपुर (म.प्र.) के प्र. क्र. 103/अ–89 वर्ष 2004–05 में पारित आदेश दि. 22.02.10 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता है:–

1. यह कि प्रकरण का विवरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि आवेदकगण को खजुराहो स्थित भूमि खसरा नंबर 1871/1/2 रकवा 2.285 हेक्टेयर भूमि का भू.रा.सं. की धारा 172/4 के अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु विधिवत आदेश दिनांक 19.7.2000 को पारित किया गया उक्त व्यपवर्तन उपरांत आवेदकगण द्वारा म.प्र. नगरपालिका कालो. एवं रजि. हेतु निर्धारित शुल्क आवेदकगणों द्वारा जमा किया गया। आवेदकगणों को विधिवत रूप से दिनांक 3.1.2001 को रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र प्रदान किया गया किंतु तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधि–विरूद्ध कारण बताओं नोटिस जारी कर कार्यवाही प्रस्तुत की और दिनांक 27.7.2005 को एकपक्षीय रूप से विवादित आदेश पारित कर दिया जिसकी अपील कलेक्टर छतरपुर द्वारा निराकृत कर आदेश की पुष्टि किए जाने पर आवेदकगणों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत की जो वापिस लेकर यह निगरानी श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।

2. यह कि अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी राजनगर ने दिनांक 25.7.2005 को आवेदकगण के अपने अधिवक्ता सहित न्यायालय में उपस्थित होने के बावजूद उनके विरूद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना प्रकरण निराकृत किया है। आवेदकगणों द्वारा दिनांक 2.5.2005, 16.5.2005, 30.5.2005 और 30.6.2005 को अपनी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2461–एक / 15 जिला –छतरपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20.08.2015	आवेदक के अधिवक्ता श्री डी0के0 पासी द्वारा इस न्यायालय में कलेक्टर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 103 / अ–89 / 2004–05 में पारित आदेश दिनांक 22.2.2010 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत उपरांत दिनांक 27.2.15 को वापिस ली जाकर म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2– आवेदक के अधिवक्ता श्री डी0के0 पासी एवं अनावेदक शासन पक्ष की ओर से पैनल अधिवक्ता श्री डी0के0 शुक्ला उपस्थित । उभय पक्ष अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये । न्यायाहित में समय सीमा मान्य करते हुये प्रकरण का निराकरण गुण दोषों पर किया जा रहा है । 3– आवेदकगणें की ओर से मुख्यतः यह आधार लिया गया है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर	

1871 / 1 / 2 रकवा 2.285 हैक्टेयर उनके भूमि स्वामित्व की भूमि है जिसका डायवर्सन राजस्व प्रकरण क्रमांक 350 / अ—2 / 99—2000 में पारित आदेश दिनांक 19.7.2000 के तहत प्रदान किया गया है । डायवर्सन उपरांत नगर पंचायत खजुराहो में रजिस्ट्रीकरण हेतु दिनांक 3.11.2002 को निर्धारित राशि जमा की गई है । दिनांक 3.1.2003 अनुविभागीय अधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी किया गया है । जिसके उपरांत विकास कार्य की अनुमति कालोनी का लेखा लेआउट आदि प्रक्रिया उपरांत वैधानिक कार्यवाही किये जाने के पश्चात भी अनुविभागीय अधिकारी राजनगर द्वारा भी कारण बताओ नोटिस जारी कर प्रस्तावित कार्यवाही प्रारंभ की है जिसमें आवेदकगणों को विधिवत सुनवाई का अवसर नहीं दिया है, न ही प्रतिपरीक्षण का अवसर दिया है । इसी प्रकार कलेक्टर छतरपुर द्वारा भी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश एवं आर्डर शीट का अवलोकन किये बिना पारित आदेश की पुष्टि कर दी है, अतएव उन्होंने प्रश्नगत दोनों आदेशों को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया है।

4— अनावेदक शासन पक्ष की ओर से यह तर्क किया है कि माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत उपरांत वापिस लिये जाने से समय सीमा से

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2461–एक/15 जिला –छतरपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	के बाहर है । अतः कलेक्टर छतरपुर द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है । 5– मैने आवेदक एवं अनावेदक अधिवक्ताओं के तर्को के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत दस्तावेज एवं अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश एवं आर्डरशीट का अवलोकन किया अनुविभागीय अधिकारी राजनगर द्वारा प्रकरण में आदेश पारित किये जाने के पूर्व दिनांक 26.5.2005, 30.5.2005, 30.6.2005 की तिथियां रीडर द्वारा बढाई जाने के उपरांत दिनांक 27.7.2005 को आवेदकगणों के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर दिनांक 27.7.2005 को प्रकरण में आदेश पारित किया जाना पाया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के पूर्व आवेदकगणों को पक्ष समर्थन का संपूर्ण अवसर दिये बिना एक पक्षीय कार्यवाही कर आदेश पारित किया गया है । जबकि विवादित भूमि का डायवर्सन राजस्व प्रकरण	

क्रमांक 350 / अ—2 / 99—2000 पारित आदेश दिनांक 19.7.2000 के तहत किया जाना पाया जाता है । इस कारण अधीनस्थ दोनों न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं पाता हूँ ।

6— उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है । अनुविभागीय अधिकारी राजनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.7.2005 एवं कलेक्टर छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.2.2010 निरस्त किये जाते हैं । तदानुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता है । जहां तक आवेदक कोलोनाइजर का लायसेंस प्राप्त कर कोलोनी निर्माण का प्रश्न है ? कोलोनाइजर लायसेंस में विहित शर्तो का यदि उल्लंघन किया जाता है, तब सक्षम अधिकारी नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र हैं ।

सदस्य